

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 16 अप्रैल, 2018

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-08 के अन्तर्गत 03 अधिष्ठान योजनान्तर्गत ₹ 57512 हजार (₹ पांच करोड़, पिचहत्तर लाख, बारह हजार मात्र) तथा 04 भट्टियां योजनान्तर्गत ₹ 207353 हजार (₹ बीस करोड़, तिहत्तर लाख, तिरपन हजार मात्र) कुल ₹ 264865 हजार (₹ छब्बीस करोड़, अड़तालीस लाख, पैसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नानुसार प्रादिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

लेखाशीर्षक: 2039 राज्य उत्पादन शुल्क, 00, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03 अधिष्ठान
(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	मद संख्या एवं मद नाम	निर्गत वित्तीय स्वीकृति
1	2	3
1.	01 वेतन	27500
2.	03 महंगाई भत्ता	2495
3.	04 यात्रा व्यय	100
4.	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
5.	06 अन्य भत्ते	3312
6.	07 मानदेय	25
7.	08 कार्यालय व्यय	1000
8.	09 विद्युत देय	500
9.	10 जलकर/जल प्रभार	100
10.	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	700
11.	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400
12.	13 टेलीफोन पर व्यय	1000
13.	15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000
14.	16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	8000
15.	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	200
16.	18 प्रकाशन	100
17.	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	300
18.	22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	50
19.	23 गुप्त सेवा व्यय	100
20.	25 लघु निर्माण कार्य	2600

21.	26 मशीने और सज्जा/उपकरण सयंत्र	4000
22.	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200
23.	29 अनुरक्षण	500
24.	42 अन्य व्यय	300
25.	44 प्रशिक्षण व्यय	300
26.	45 अवकाश यात्रा व्यय	30
27.	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	300
28.	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	300
	योग-	57512

(₹ पांच करोड़ पिचहत्तर लाख बारह हजार मात्र)
 2039 राज्य उत्पादन शुल्क, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04 भट्टियां
 (धनराशि रूपये हजार में)

क्र० सं०	मद संख्या एवं नाम	निर्गत वित्तीय स्वीकृति
1	2	4
1.	01 वेतन	152150
2.	03 महंगाई भत्ता	16314
3.	04 यात्रा व्यय	200
4.	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400
5.	06 अन्य भत्ते	17639
6.	08 कार्यालय व्यय	500
7.	09 विद्युत देय	150
8.	10 जलकर/जल प्रभार	50
9.	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	500
10.	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
11.	13 टेलीफोन पर व्यय	150
12.	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद।	1500
13.	16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	9000
14.	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	400
15.	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5000
16.	23 गुप्त सेवा व्यय	300
17.	25 लघु निर्माण कार्य	300
18.	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1500
19.	29 अनुरक्षण	200
20.	42 अन्य व्यय	100
21.	45 अवकाश यात्रा व्यय	500
22.	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	400
	योग-	207353
	कुल योग	264865

(₹ बीस करोड़ तिहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र)
 कुल योग (रूपये छब्बीस करोड़ अड़तालीस लाख पैंसठ हजार मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय विवरण बी0एम0-08 पर नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक-02.04.2018 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में उपलब्ध प्राविधानानुसार किया जायेगा तथा मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-08 में उक्त लेखाशीर्षक के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 3946/XXIII/2018/03(04)/2017TC तद्दिनांकित
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त/मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गढ़वाल/नैनीताल।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
उप सचिव